राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (26)आकाशि/नि.सं./2011/319 दिनांक– 7-6.19

आदेश

[illegible] राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा [illegible] निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019–20 से स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित व [illegible] विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
[illegible] खण्डेलवाल वैश्य [illegible] ट्रस्ट, वैशाली [illegible] जयपुर।	खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली नगर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।	स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित विषय– कला संकाय– अर्थशास्त्र। स्नातक स्तर पर नवीन विषय– विज्ञान संकाय–वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान। स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित विषय– एम.कॉम.–ए.बी.एस.टी., ईएएफएम, व्यावसायिक प्रशासन। स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय– कला संकाय– भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र विज्ञान संकाय–रसायनशास्त्र, गणित।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा [illegible] अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना [illegible] रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से [illegible] विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. [illegible] को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. [illegible] सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित [illegible] अनुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग [illegible] तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019–20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना [illegible]
11. [illegible] विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. [illegible] संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

GENERAL SECRETARY

Khandelwal Vaish Girls Institute of Technology
Vaishali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (377) आकाशि/नि.स./2011/1337 दिनांक:- 9/10/17

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017–18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर– कला संकाय– हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, मुगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र। विज्ञान संकाय– भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, भूगोल।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से सम्बद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू0जी0सी0 अर्हताधारी प्राचार्य व व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों का पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय–2 पर यू0जी0सी0/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भीउल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GENERAL SECRETARY

संयुक्त–निदेशक (नि.स.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)

राजस्थान सरकार
कॉलेज-शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (377)/आकाशि/नि.सं /2010/673 दिनांक :- 20/7/16

संशोधन आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 4 (377) आकाशि (नि.स.) 2010/667 दिनांक 1.07.2016 को खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर को अभिवृद्धि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अभिवृद्धि प्रमाण पत्र में कला संकाय में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, हिन्दी, अग्रेंजी, भूगोल व विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भूगोल पढा जावें। यह आदेश पूर्व आदेश के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (377)/आकाशि/नि.सं /2010 दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक,(नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECH...
GENERAL SECRETARY

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (377)आकाशि / नि.सं. / 2010 / 667 दिनांक:- 11/7/16

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को सत्र 2016–17 एक वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	पूर्व संचालित विषय/संकाय स्नातक स्तर पर कला संकाय – इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल।

1. संस्था सत्र 2017–18 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीoसीoआईo से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करायेगी ।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एनoएसoएस/एनoसीoसी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। ~~इसकी सूचना समन्वयक एनoएसoएस0,~~ कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेंगे ।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015–16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1.विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2.अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3.जिला कलेक्टर, जयपुर।
4.कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5.सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6.सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7.रक्षित पत्रावली ।

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GENERAL SECRETARY

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ 4 (377) / आकाशि / नि.सं / 2010 / 672 दिनांक :– 20/7/16

संशोधन आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 4 (377) आकाशि (नि.सं.) 2010 / 666 दिनांक 11.07.2016 को खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर को नवीन विषय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। नवीन विषय के अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय एबीएसटी, व्यावसायिक प्रशासन, ई फएम और स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान पढ़ा जावें। यह आदेश पूर्व आदेश के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांकः– एफ 4 (377) / आकाशि / नि.सं / 2010 दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GENERAL SECRETARY

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4 (377)आकाशि / नि.सं. / 2010/666 दिनांकः– 11/7/16

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19, (तीन वर्ष) हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय / विषय
खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय कला संकाय– अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान। वाणिज्य संकाय – एबीएसटी, व्यावसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम।

1. संस्था सत्र 2019–20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीoसीoआईo से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय / विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रुपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय / नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था / महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था / महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रुप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करायेगी ।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन0एस0एस / एन0सी0सी / रोवरिंग एवं रेंजरिंग (स्काउट / गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेंगे ।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015–16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (नि0वि0)

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GENERAL SECRETARY

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4 (150) आकाशि / नि.सं. / 10 / 18 दिनांक:- 11-08-15

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2015–16 में नवीन संकाय / विषय संचालित करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है–

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित नवीन संकाय / विषय
खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों सहित कला संकाय में:–इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य विज्ञान संकाय में:– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भूगोल।

निजी महाविद्यालय नीति 2015–16 के अनुसार निर्धारित अवधि में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :–
   अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज ।
   ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ के अनुमोदनार्थ, संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।
   स. स्टाफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
   द. नियमानुसार समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती ।
   य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था ।
   र. भूमि का रूपान्तरण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ करवाने का 10/– स्टाम्प पर शपथ पत्र तथा रूपान्तरण शुल्क जमा होने की रसीद।
   उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों / निर्देशों की पालना करेगी।
5. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
6. संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी। भारत सरकार के AISHE सर्वे को भरने की भी जिम्मेदारी होगी।
7. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
8. संस्था द्वारा एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / रोवरिंग एवं रेंजरिंग (स्काउट / गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
9. बिन्दु सं0 1 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति, कर 30 दिवस में आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें।
10. संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी ।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015–16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. वर्ष 2015–16 की एन.ओ.सी. ~~विश्वविद्यालय के अध्यधीन होगी~~ ।
13. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (निजी)

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GENERAL SECRETARY

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ 4 (377) निकाशि/अनु/11-12/938 दिनांक:- 12-8-14

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2014-15 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	377	खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय संकाय

1- संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
6. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GENERAL SECRETARY

Annexure B (51)(D)

कार्यालय, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ-4 (32) काशि/अनु/2011/ 07 दिनांक:- 25/4/2012

आदेश

खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हनुमान नगर, ब्लॉक ई, वैशाली नगर, जयपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2625 दिनांक 27.12.2010 के द्वारा सत्र 2011-12 से सत्र 2013-14 तक के लिए जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवंटित संकाय/विषयों के क्रम में संस्था को सत्र 2012-13 से वाणिज्य संकाय में-एबीएसटी, ईएएफएम, बिजनेश एड० विषय संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सांख्यकी शाखा, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. सचिव, खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हनुमान नगर, ब्लॉक ई, वैशाली नगर, जयपुर ।
9. गार्ड पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान)

KHANDELWAL VAISH GIRLS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GENERAL SECRETARY